इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 151] भोपाल, बुधवार, दिनांक 14 जून 2024—ज्येष्ठ 24, शक 1946

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 जून 2024

क्रमांक- **एफ-एम.आई.एन./2/0002/2024-एम.आर.डी.-बारह.-** खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम 2016 के नियम 67 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा भारत सरकार, खान मंत्रालय के पत्र दिनांक 06 मई, 2024 द्वारा जारी मार्गदर्शन के अनुसरण मेंअनुसरण, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, जिला सिंगरौली, तहसील चितरंगी के ग्राम मेडवा मे अवस्थित गुरहर पहाड़ी गोल्ड खनिपटटा ब्लॉक, रकबा 149.30 हेक्टेयर को पूर्वेक्षण कार्य (24 बोरहोल) किये जाने हेतु अधिमानी बोलीदार मेसर्स कुंदन गोल्ड माईन्स प्राईवेट लिमिटेड, गुरूग्राम, हरियाणा के पक्ष में अधिसूचित करती है। क्षेत्र के ब्यौरे एवं शर्ते निम्नानुसार हैः-

प्वाइंट आई.डी.	अक्षांश	देशांतर
A	24°20'2.24"N	82°43'51.49"E
B	24°19'14.34"N	82°45'23.21"E
C	24°19'27.98"N	82°45'32.48"E
D	24°20'12.41"N	82°44'7.79"E
E	24°20'12.32"N	82°44'5.08"E
F	24°20'12.88"N	82°44'3.20"E
G	24°20'13.83"N	82°44'0.20"E
H	24°20'13.83"N	82°44'0.00"E
I	24°20'14.00"N	82°43'59.66"E
J	24°20'14.05"N	82°43'59.50"E
K	24°20'2.24"N	82°43'51.49"E

1. अधिमानी बोलीदार द्‌वारा खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन विनिर्दिष्ट या अधिसूचित गवेषण एजेंसी के माध्यम से प्रस्तावित कार्य कराया जाएगा।

2. प्रस्तावित गवेषण का व्यय अधिमानी बोलीदार द्‌वारा वहन किया जाएगा तथा पारस्परिक रूप से सहमत शर्तो पर प्राधिकृत गवेषण एजेंसी को भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का दावा नही किया जाएगा।

3. पूर्वेक्षण कार्य की कार्यावधि अधिसूचना जारी किये जाने की दिनांक से 20.03.2026 तक होगी। प्राधिकृत गवेषण एजेंसी द्‌वारा गवेषण रिपोर्ट पूर्वेक्षण कार्य पूरा होने के 60 दिनो के भीतर राज्य सरकार और भारतीय खान ब्यूरो को प्रस्तुत की जाएगी।

4. खनिज (नीलामी) नियम, 2015 के नियम 10 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसार अधिमानी बोलीदार को खनन पट्टे के निष्पादन के लिए निर्धारित समय-सीमा में किसी भी छूट की पात्रता नही होगी।

5. अधिमानी बोलीदार ऐसे गवेषण के परिणाम के आधार पर खनन पट्टा प्रदान किये जाने के निबंधनों और शर्तो में किसी भी परिवर्तन की मांग नही करेगा।

6. खनिज ब्लॉक के अनुमानित संसाधनो का मूल्य (वी.ई.आर.) प्रस्तावित अतिरिक्त गवेषण के परिणाम के आधार पर कम नही किया जाएगा। तथापि ब्लॉक में अतिरिक्त संसाधनों में वृध्दि की स्थिति में ब्लॉक के वी.ई.आर. का ऊपर की ओर अपवर्ड संशोधन किया जाएगा और अधिमानी बोलीदार को अतिरिक्त / बढा हुआ अग्रिम भुगतान और कार्य निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करनी होगी।

7. यदि अधिमानी बोलीदार प्रस्तावित अतिरिक्त गवेषण के पूरा होने के पश्चात् खनिज ब्लॉक अभ्यर्पित करता है, तो अधिमानी बोलीदार पूर्वकथित उपबंधों से आबद्ध बना रहेगा, मानो कि अभ्यर्पण अतिरिक्त गवेषण के बिना किया गया था।

8. चूंकि गुरहर पहाड़ी खनिज ब्लॉक संपूर्ण वन क्षेत्र है, इसलिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (1980 का 69) के उपबंधों के अधीन पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही पूर्वेक्षण कार्य प्रांरभ किया जाएगा। प्रतिबंधित स्थलों पर किसी प्रकार का पूर्वेक्षण कार्य नहीं किया जाएगा।

9. अधिमानी बोलीदार, संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल, भारतीय खान ब्यूरो एवं कलेक्टर, जिला सिंगरौली को अधिसूचित क्षेत्र में पूर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने के बारे में सूचना प्रदान करेगा।

10. पूर्वेक्षण कार्य करने के उपरांत यदि अधिसूचित क्षेत्र में नवीन खनिजों की उपलब्धता प्रमाणित होती है, तो अधिमानी बोलीदार नियमानुसार उसको संसूचित करेगा।

11. क्षेत्र में आवश्यकतानुसार भूमि स्वामी की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही पूर्वेक्षण कार्य किया जाएगा।

12. पूर्वेक्षण कार्य के दौरान सृजित समस्त भूवैज्ञानिक डाटा पर राज्य शासन का अधिकार होगा। बोरहोल कोर, विश्लेषण उपरांत, क्षेत्रीय कार्यालय, रीवा में जमा किए जाएंगे।

13. अधिमानी बोलीदार खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उनके अनुमति पत्र दिनांक 06 मई, 2024 के माध्यम से अधिरोपित समस्त शर्तों से आबद्ध होगा।

14. उक्त क्षेत्र में पूर्वेक्षण कार्य के दौरान इस नियमों का किसी प्रकार का उल्लंघन आदि पाए जाने पर अधिसूचना वापस ली जा सकेगी।

No. F-MIN/2/0002/2024-MRD-12.- In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 67 of the Minerals (Other than Atomic and Hydrocarbon Energy Minerals) Concession Rules, 2016, and in pursuance of the guidance issued by the Ministry of Mines, Government of India, vide letter dated 6th May, 2024, the State Government, hereby, notifies the Gurhar Pahari Gold Mining Block, area 149.30 hectares located in village Medwa, Tehsil Chitrangi, of District Singrauli, for carrying out prospecting work (24 boreholes) in favor of the preferred bidder, M/s Kundan Gold Mines Private Limited, Gurugram, Haryana. The details of the area and the conditions are as follows:

POINT ID	LATITUDE	LONGITUDE
A	24°20'2.24"N	82°43'51.49"E
B	24°19'14.34"N	82°45'23.21"E
C	24°19'27.98"N	82°45'32.48"E
D	24°20'12.41"N	82°44'7.79"E
E	24°20'12.32"N	82°44'5.08"E
F	24°20'12.88"N	82°44'3.20"E
G	24°20'13.83"N	82°44'0.20"E
H	24°20'13.83"N	82°44'0.00"E
I	24°20'14.00"N	82°43'59.66"E
J	24°20'14.05"N	82°43'59.50"E
K	24°20'2.24"N	82°43'51.49"E

1. Prospecting work shall be carried out by the preferred bidder through a specified or notified exploration agency under the second proviso of sub-section (1) of section 4 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957).

2. The cost of the proposed exploration shall be borne by the preferred bidder and will be paid to the authorized exploration agency on mutually agreed terms. No reimbursement claim shall be made from the State Government.

3. The duration of the prospecting work shall be from the date of issue of the notification till 20.03.2026. The exploration report shall be submitted by the authorized exploration agency to the State Government and Indian Bureau of Mines within 60 days of completion of the prospecting work.

4. As per the provisions of sub-rule (6) of rule 10 of the Minerals (Auction) Rules, 2015, the preferred bidder shall not be entitled to any relaxation in the time limit for execution of the mining lease.

5. The preferred bidder shall not demand any change in the terms and conditions for grant of mining lease based on the outcome of such exploration.

6. The Value of Estimated Resources (V.E.R.) of the mineral block shall not be reduced on the basis of the results of the proposed additional exploration. However, in case of increase in additional resources in the block, the V.E.R. of the block shall be revised upwards and the preferred bidder shall be required to submit additional/increased upfront payment and performance security.

7. If the preferred bidder surrenders the mineral block after completion of the proposed additional exploration, the preferred bidder shall continue to be bound by the same provisions as if the surrender had been made without additional exploration.

8. Since the Gurhar Pahari mineral block is a complete forest area, prospecting work shall be started only after obtaining prior permission under the provisions of the Forest Conservation Act, 1980 (69 of 1980). No prospecting work shall be carried out in prohibited areas.

9. The preferred bidder shall inform the Director, Geology and Mining, Government of Madhya Pradesh, Bhopal, Indian Bureau of Mines and Collector, District Singrauli about the commencement of prospecting work in the notified area.

10. If the availability of new minerals is established in the notified area after prospecting work, the preferred bidder shall inform the same as per rules.

11. Prospecting work shall be carried out only after obtaining the consent of the landowner as required in the area.

12. The State Government shall have the right to all geological data generated during the prospecting work. Borehole core after analysis shall be deposited in the Regional office, Rewa.

13. The preferred bidder shall be bound by all the conditions imposed by Ministry of Mines, Government of India vide their permission letter dated 6th May, 2024.

14. The notification may be revoke, if any violation of these rules etc, is found during prospecting work in the said area.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग चौधरी, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.